न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड(राज.)
पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 24/2024 दायर दिनांकः 06.03.2024

उनवान

1. भेरूलाल पि. कन्हीराम जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
2. जानकीलाल पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाशचन्द पि. भेरूलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
2. दिनेश पि. प्रकाशचन्द जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
3. प्रहलाद पि. प्रकाशचन्द जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल
4. शाखा प्रबंधक बैंक आफ बडौदा शाखा सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण ।:– विद्वान अभिभाषक श्री हुकुचन्द कुमावत

अप्रार्थीगण :– एकतरफा

निर्णय दिनांक 19.11.2024

वादी की ओर से उपरोक्त उनवान का वाद ठोस आधारों पर श्रीमान् की सेवामें प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम सेमला की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 291 के ख.नं. 1163/869 एवं खाता सं. 290 के ख.नं. 869 की भूमि खातेदार भेरूलाल पि. कनहीराम के खाते दर्ज है। ग्राम सेमला की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 113 के ख.नं. 1266/209, ख.नं. 1268/233, ख.नं. 1269/210 व ख.नं. 1271/869 किता 4 रकबा 2.4155 हे. भूमि खातेदार जानकीलाल पि. भेरूलाल के खाते दर्ज है। अप्रार्थीगण खातेदारी में दर्ज आराजी किता 4 रकबा 1.4669 हे. में से ख.नं. 1160/869 रकबा 0.0508 हे. भूमि वादग्रस्त है। यह कि ख.न. 1163/869,

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 11:46:36 IST
Reason: SelfAttested

का भूमि नवशा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है ... भी प्रार्थ... के साथ सलग्नं हैं।

भेरुलाल जानकीलाल

निरन्तर पेज नं. 02 पर.........

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं. 1271/869, ख.नं. 869 की भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में तथा ख.नं. 1160/869 भूमि अप्रार्थीग्ण की खातेदारी में है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से रंजिश रखते है जिससे हर समय प्रार्थी को नुकसान पहूँचाने की नियत से कार्य करते है एवं प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहूँचाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे की भूमि में प्रवेश करते है एवं बजरन रास्ता कायम करने पर आमदा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 1160/869 मेन रोड पर स्थित होने के बावजूद पुराने रास्ते को बंद कर प्रार्थीगण की आराजी में निकलते है। जिसे रोकने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 4 बैंक को तकमील पक्षकार एवं अप्रार्थी सं. 5 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा नया रास्ता बनाने एवं फसलो को नष्ट करने में सफल हो जाने पर प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की पात्रता प्राप्त है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.08.2024 व दिनांक 10.10.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी सं. 1 के पुत्र एवं पौत्र है। प्रार्थी सं. 1 भेरूलाल ग्राम सेमला की आराजी खाता सं. 290, 291 का रिकार्डेड खातेदार कृषक है जबकि प्रार्थी सं. 2 जानकीलाल खाता सं. 113 किता 4 रकबा 2.4155 हे. आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक है। ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 185 किता 4 रकबा 1.4669 है. प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 की सहखातेदारी में दर्ज है। शामलाती आराजी खाता सं. 185 में से अप्रार्थीगण के कब्जे की आराजी ख.नं. 1160/869 सेमला–छीतरखेडा मेन रोड पर स्थित है जहां तक आने जाने का रास्ता मौजूद है। फिर भी अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 1271/869 में होकर रास्ता बनाने पर आमदा है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी ख.नं. 1271/869 पर चारो तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 11:46:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षार्थ तार व खम्बे लगा रखे है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तार खम्बो को तोडकर जबरन रास्ता बना रहे है। जिसका उन्हे कोई हक या अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर रास्ता नहीं बनावे।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र को अभिनिर्धारित करने के लिए प्रकरण को निम्न तीन बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है :-

(अ) <u>प्रकरण प्रथम दृष्टया</u>- ग्राम सेमला के खाता सं. 113 किता 4 की जमाबंदी सं. 2073-76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 1163/869, ख.नं. 1271/869, व ख.नं. 869 प्रार्थीगण के खाते में दर्ज रिकार्ड है अर्थात प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी रिकार्डेड कृषक है। खाता सं. 185 किता 4 रकबा 1.4669 हे. आराजी के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के हिस्सा 1/3 - 1/3 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के अनुसार उक्त खाते की सह आराजी में से ख.नं. 1160/869 अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है और सेमला-छीतरखेडा मुख्य सडक पर स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 1271/869 में होकर जबरन रास्ता बनाना चाहते है। जिसका उन्हे कोई हक या अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(ब) <u>सुविधा का संतुलन</u> - प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त आराजी ख.न. 1163/869, ख.नं. 1271/869, व ख.नं. 869 प्रार्थीगण के खाते में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा पेश स्व प्रमाणित फोटोग्राफस पीएच 1 से 2 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा ही ख.नं. 1271/869, जिसके चारो ओर खम्बे तार लगे होने का प्रार्थीगण द्वारा **सशपथ** अंकन किया गया है, डामर सडक पर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा सशपथ अंकित शामलाती आराजी ख.नं. 1160/869 जो अप्रार्थीगण के कब्ज काश्त में है पर होकर पगडंडी/कच्चा रास्ता बना होना जाहिर है। यदि अप्रार्थीगण को अपनी किसी आराजी तक पहुँच हेतु रिकार्डेड रास्ते [illegible] यकता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 25[illegible] प्रार्थना पत्र दायर करना चाहिए न कि जबर[illegible] होकर रास्ता निकालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 11:46:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)
Scanned with OKEN Scanner

चाहिए। प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को अधिक सुविधा होगी। अतः **अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।**

(स) <u>अपूर्णीनीय क्षति</u> – हस्तगत प्रकरण में प्रकरण प्रथम दृष्टया और सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार कृषक होकर कब्जा धारी भी है। प्रार्थीगण को सशपथ बयानो से जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता बनाने पर आमदा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति कारित हो सकती है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी ख.न. 1163/869 रकबा 0.1516 हे., ख.नं. 1271/869 रकबा 0.0759 हे., ख.नं. 869 रकबा 0.1265 हे. की भूमि रकबा 0.0379 है0 के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्राथीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम सेमला की आराजी ख.न. 1163/869, ख.नं. 1271/869, ख.नं. 869 की भूमि में बेजा मदाखलत, बेजा मदाहमत नहीं करे एवं फसल को नष्ट नहीं करे तथा प्रार्थीगण की आराजी में जबरन प्रवेश नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 11:46:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner